

आदेश का
क्रम संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख के
साथ।

21.02.202

प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची
एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 73/2006

ऐतवा उरांव

बनाम्

रीता देवी एवं विजय मारू

प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद उपायुक्त न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 अपील 321 आर0 15/96-97 में दिनांक 15.02.2006 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था। दिनांक 05.09.2006 को प्रथम सुनवाई में ही इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद को कालबाधित घोषित करते हुए खारीज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदकों के द्वारा रिट याचिका 7388/2006 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन पर पुनः सुनवाई करते हुए अंतिम आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आदेश के पश्चात् 14.08.2012 को इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारम्भ की गई। 29.07.2013 को मूल विपक्षी प्रकाश मारू के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों को प्रतिस्थापित किया गया। उक्त तिथि के पश्चात् विपक्षी की हाजरी एवं अन्य प्रक्रियात्मक कार्यों में वाद की कार्रवाई लंबित रही। वर्ष 2016 में प्रश्नगत वाद राजस्व पर्षद को हस्तांतरित किया गया जो पुनः वर्ष 2017 में इस न्यायालय को वापस प्राप्त हुआ। उक्त तिथि के पश्चात् ही आवेदक अथवा विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 16.02.2016 को आवेदकों की तरफ से एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें प्रश्नगत विषय पर उभय पक्षों के बीच समझौता हो जाने के कारण इस वाद को वापस किये जाने की सूचना दी गयी है। इसे पश्चात् भी इस न्यायालय में वाद की कार्रवाई जारी है तथा उभय पक्ष न्यायालय से अनुपस्थित है क्योंकि आवेदक

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
	<p>द्वारा स्वयं ही प्रश्नगत वाद को वापस लिया गया है तथा विगत पाँच वर्षों से वे न्यायालय से अनुपस्थित भी है। अभी तक विगत 10 वर्षों से यह वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत भी नहीं किया गया है। अतः इस वाद की कार्रवाई जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस वाद की कार्रवाई समप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>Wanucami</i> प्रमण्डलीय आयुक्त</p> <p><i>Wanucami</i> प्रमण्डलीय आयुक्त</p>	